न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 89/2020

दायर तारीख :– 08-07-2020

1. सरती देवी पत्नि श्री शिम्भूदयाल जाति जाट निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।
2. अर्जित सोलंकी पुत्र राजेश कुमार जाति सोलंकी निवासी ई–701 जागरण अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 17 सेक्टर–22, नई दिल्ली।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 23.03.2021

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खसरा नम्बर 3004/1/0.0379, 3005/1/0.0338, 3006/3/0.3019 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 3004/1/0.0379, 3005/1/0.0338 हैक्टेयर की दक्षिणी सींवं डौल से लगती अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नंबर 3004, 3005 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2, प्रार्थीया की भूमि खसरा नंबर 3004/1/0.0379, 3005/1/0.0338 हैक्टेयर की दक्षिणी दिशा की सींव डौल से छेडछाड करता रहता है तथा सीमा विवाद करता है। यह है कि प्रार्थीया ने राजस्व अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का आंतेला से प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि की दिनांक 25.06.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया। प्रार्थीया अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खसरा नम्बर 3004/1/0.0379, 3005/1/0.0338, 3006/3/0.3019 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर भूमि की सक्षम राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से पत्थरगढी करवाये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम गांधीनगर खाता संख्या 154 संवत् 2075–2078, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 25.06.2020 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खसरा नम्बर 3004/1/0.0379, 3005/1/0.0338, 3006/3/0.3019 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीया की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीया की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीया ने का तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक–भू0अ0सीमा/प.()/2020/8 दिनांक 18.06.2020 की पालना में दिनांक 25.06.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खसरा नम्बर 3004/1/0.0379, 3005/1/0.0338, 3006/3/0.3019 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)